

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 35] No. 35]

दिल्ली, बुधवार, मार्च 10, 2004/फाल्गुन 20, 1925 DELHI, WEDNESDAY, MARCH 10, 2004/PHALGUNA 20, 1925

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 56 [N.C.T.D. No. 56

भाग IV PART IV

. राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

परिवहन विभाग

श्चि-पत्र

दिल्ली, 10 मार्च, 2004

सं. फा. 1/159/परि./सीबी-98-99/3564.— दिनांक 26 फरवरी, 2004 की अधिसूचना सं.फा.1(159)/परि./सी.बी./98-99 के अंग्रेजी रूपान्तरण में ''स्मार्ट कार्ड के लिए निर्धारित किए जाने वाले शुल्क से संबंधित वित्तीय ज्ञापन'' में पैराग्राफ 2 (vi) के पश्चात् तथा ''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर'' शब्दों से पहले ''उपनियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क के भुगतान से व्यक्तियों या संस्थानों के वर्ग या वर्गों के स्वामित्व या श्रेणियों के वाहनों को पूर्णतया'' शब्दों को हटाया गया समझा जाए तथा निम्नलिखित 2 पैराग्राफों को जोड़कर पढ़ा जाए:—

"03. स्मार्ट ऑप्टिकल कार्ड जारी करने के लिए पूर्ण सम्बद्धता सिंहत पूर्ण आन-लाइन प्रणाली स्थापित करने के लिए आधारभूत ढ़ाँचा, यू.पी.एस तथा स्थल तैयारी और ऐसे अन्य खर्च अर्थात् स्टेशनरी, बिजली इत्यादि की भी आवश्यकता होगी। इस उद्देश्य के लिए उपरोक्त पैरा-2 में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों सिंहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से स्मार्ट ऑप्टिकल कार्ड में पंजीकरण प्रमाण पत्र के भाग "ख" के लिए 170 रु. की अतिरिक्त राशि वसूलने की अपेक्षा की गई है। इस प्रकार, स्मार्ट ऑप्टिकल कार्ड में पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए कुल राशि प्रति वाहम प्रति कार्ड 200+170=370 रु. होगी।

04. इसिलए नये वाहन मालिक को पंजीकरण शुल्क जमा
(+) अपने वाहन के पंजीकरण के समय स्मार्ट ऑप्टिकल
कार्ड जारी करने के लिए प्रभार अदा करना पड़ेगा। इस
प्रकार नये हल्के मोटर वाहन के मालिक को उदाहरणार्थ
200 रु. (पंजीकरण शुल्क) + 370 रु. (स्मार्ट ऑप्टिकल
कार्ड प्रभार) = 570 रु. जमा कराने पड़ेंगे।''

राजीव तलवार, सचिव व आयुक्त

TRANSPORT DEPARTMENT CORRIGENDUM

Delhi, the 10th March, 2004

No. F. 1(159)/Tpt./CB/98-99/3564.—In the English version of the Notification No.F.1(159)/Tpt./CB/98-99 dated 26th February, 2004, in the "Financial Memorandum regarding the fee to be prescribed for the Smart Card", after paragraph 02(vi), and before the words, "By order and in the name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi", the words "fully, to the vehicles of the categories or owned by class or classes of persons or institutions, from the payment of fees prescribed under sub-rule (1)." may be read as deleted and the following 2 paragraphs may be read as added:

"03. For issue of Smart Optical Card, infrastructure for setting up the complete on-line system with full conectivity, UPS and site preparation and such other expenses i.e. stationery, electricity will also be required. For this purpose, alongwith the purposes specified in para 2 above, the Govt. of N.C.T. of Delhi is required to charge an additional amount of Rs.170/- for Part 'B' of the Registration Certificate in Smart Optical Card. Thus, the total amount for the Registration Certificate in Smart Optical Card would, then, be Rs. 200+170=Rs. 370/- per card per vehicle.

14. Therefore, a new vehicle owner will have to pay the registration fee plus the charge for issue of Smart Optical Card at the time of the registration of his vehicle. Hence, the owner of a new light motor vehicle, for example, will have to pay Rs. 200.00 (registration fee) + Rs. 370.00 (charge for Smart Optical Card) = Rs. 570.00 and so on."

RAJEEV TALWAR, Secy. & Commissioner